

रीख हुकम

हुकम कार्यवाही नय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 170/2022 अनवान द्वारकसिंह बनाम कमलसिंह

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हए


16/11/22

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा महाबार पीथल पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 575 वर्तमान खसरा संख्या 2498/575 रकबा 07.00 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थीगण मौजा महाबार पीथल पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाडमेर के मूल खसरा संख्या 575 वर्तमान खसरा संख्या 2498/575 रकबा 07.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपर उपर अधिकारी
बाडमेर